न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 139/2016

पालकौर पत्नी चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. अमरजीतसिंह पुत्र चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. गुरदेवकौर बेवा चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब)
3. कुलविन्द्रकौर पत्नी सतपाल जाति जटसिख निवासी चक 14 एसजेएफ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर । —रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध आदेश
उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 13.04.2016
उपस्थितः—

श्री चरणदास कम्बोज अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1

निर्णय दिनांक 26.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार प्रार्थी/रेस्पो.1 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि चक 4 बी छोटी के खाता संख्या 48/44 मु.न. 26 में कि.न. 1 से 5, मु.न. 27 में कि.न. 16 से 25 की 10 बीघा, चक 10 वाई के मु.न. 14 के कि.न. 1 से 19 व मु.न. 15 के कि.न. 6, 9, 12 से 15 कुल 26 बीघा, चक 5 वाई के मु.न. 39 के कि.न. 1 से 3, 8 से 12 में 1.581

26/12/17

है0 मु.न. 38 व 44 के कुल 6.499 है0 हिस्सा में से 1.612 है0 व चक 2 बी छोटी के मु.न. 2 में 0.176 हिस्सा रकबा खातेदारी था । प्रार्थी के दादा का देहान्त हो चुका है प्रार्थी की दादा सुरजीत के नाम से चक 4 सी छोटी में मु.न 29 के कि. न. 4 से 7, 14 से 17 व 23 से 25 में अप्रार्थी सं .1 के नाम ब.हि.ब. खातेदारी है व मु.न. 26 के कि.न. 1 से 5, 27 के 16 से 25 की 15 बीघा अपने पति से विरासतन प्राप्त हुआ है । अप्रार्थी सं.1 पैतृक आराजी को खुर्द बुर्द करना चाहता है यदि ऐसा करने में वह सफल हो गया तो वादी को वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा । अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वह विवादित भूमि को रहन बेय व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे । अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 13.04.2016 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पति नहीं है प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था । फिर भी अधी. न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरेाते हए कथन किया कि विवादित भूमि में प्रार्थी का हक व हिस्सा बनता है यदि वाद के निर्णय से पूर्व भूमि का किसी प्रकार से हस्तान्तरण हो जाता है तो वादी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अधी. न्यायालय ने मामला प्रार्थी के पक्ष में मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 13.04.2016 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें रेस्पो. के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो मूल प्रार्थना पत्र मं रेकार्डेड खातेदार चन्द्रसिंह के

विरूद्ध अनुतोष चाहा गयाथा। जो रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अतः अधी. न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया , प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में प्रार्थी अमरजीतसिंह ने अप्रार्थी संख्या–1 चन्दसिंह जो उनवानी वल्दियत अनुसार पुत्र ने पिता पर आक्षेप किया है कि बुरी आदतो का शिकार है । अतः उसके नाम की आराजी को खुर्द–बुर्द व नष्ट करने की आंशका जताई है, विवादित आराजी चन्दसिंह वल्द मुखत्यार सिंह के नाम दर्ज है जो पत्रावली पर उपलब्ध संशोधित शीर्षक अनुसार चन्दसिंह की मृत्यु हो गई है परन्तु विवादित कृषि भूमि आज भी उसी के नाम दर्ज है जो रा.का.अ. 1955 की धारा 40 के प्रावधानुसार devolvel योग्य है तथा विवाद रेकार्डेड खातेदार के वारिसान के मध्य होना अपीलाधीन आदेश की विष्य वस्तु है जो सन्दर्भ दावे में विनिश्चय योग्य है। वहीं अपीलांट अभिषक द्वारा अपील मीमों के बिन्दु संख्या 6 का हवाला देकर विवरण अनुसार दावा धारा 88 व 183 रा.का.अ. के तहत जैरकार है जो रेस्पो. द्वारा घोषणात्मक (उसके नाम खातेदारी घोषित करवाने) व कब्जा प्राप्त करने की धाराओं में पेश किया है जो दर्शाता है कि रेस्पो. का न तो विवादित भूमि पर कब्जा है न ही उसका खाते में नाम हैजो अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के तीन सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपरिमित क्षति विवेचित करने के आधार हो सकते है जो रेस्पो. के पक्ष में नहीं है साथ ही अधी. न्यायालय ने भी अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश में सुविधा के सन्तुलन व प्रथम दृष्टया प्रकरण वर्णित किया है। जबकि न्याय सिद्धान्त आरएलडब्लू 1952 पेज 416 मूसा बनाम बद्री प्रसाद, आरआरडी 1057 पेज 68 गोपीराम बनाम ठाकुरजी, आरआरडी 1974 पेज 446 नारायणदास बनाम मौलाबक्श में held किया है कि A party who wants temperory injuction must satisfy all grounds and not only one or two of them उपरोक्त न्याय सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अधी.न्यायालय का निर्णय खरा नहीं ठरता, साथ ही न्याय सिद्धान्त आरबीजे 1997 पेज 621 जगदीश लाल बनाम परमेश्वरलाल में held किया हुआ है कि ordinarily an injuction can not be granted against a recorded khatedar अधी.न्यायालय ordinarily के बजाये Extra ordinarily

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

परिस्थितिया भी नहीं दर्शाई । अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर